प्रेस नोट

थाना रक्सा, झांसी

दिनाँक 15.08.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना रक्सा पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार,**
- **कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल व 750 रु/- नकद बरामद,**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.08.2026 को थाना रक्सा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–170/26 धारा 65(1),62, 351(3) बीएनएस व 9(k)/10 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त- रतिराम रायकवार पुत्र बिहारी रायकवार उम्र करीब 36 वर्ष निवासी- राजीव नगर महावीरन नगरा थाना प्रेमनगर झांसी को ग्राम अठौंदना ओवरब्रिज के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग करने व पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके जीवनरक्षार्थ हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद किया गया । पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रक्सा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.08.2026 को वादी श्री आशाराम अहिरवार पुत्र श्री लटोरे निवासी- ग्राम ढिकौली थाना रक्सा झांसी द्वारा थाना रक्सा पर प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि दिनांक 11.08.2026 को समय करीब 03:00 बजे प्रार्थी के परिवारजन खेत पर गए हुए थे। घर पर प्रार्थी की 13 वर्षीय नातिन अपने 11 वर्षीय भाई के साथ अकेली थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया तथा बालक को पानी लाने के बहाने बाहर भेजकर बालिका को जबरन कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका के शोर मचाने पर आसपास के लोगों के आने की आहट पाकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

वादी से प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना रक्सा पर मु0अ0सं0- 170/2026 धारा 65(1)/62/351(3) बीएनएस व 9(k)/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना रक्सा पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 14.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रक्सा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अठौंदना ओवरब्रिज के पास अभियुक्त की घेराबंदी की गई। इस दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त रतिराम रायकवार पुत्र बिहारी रायकवार उम्र करीब 36 वर्ष निवासी- राजीव नगर महावीरन नगरा थाना प्रेमनगर झांसी के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसको जीवनरक्षार्थ हेतु तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना रक्सा पर पूर्व में दिनांक पॉक्सो एक्ट से संबंधित मु0अ0सं0- 60/2026 धारा 74/352/351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u> – रतिराम रायकवार पुत्र बिहारी रायकवार उम्र करीब 36 वर्ष निवासी- राजीव नगर महावीरन नगरा थाना प्रेमनगर झांसी

<u>बरामदगी का विवरण –</u> 1. 01 तमंचा 315 बोर,
2. 02 खोखा कारतूस,
3. 01 जिन्दा कारतूस,
4. 01 मोटरसाइकिल व
5. 750 रु/- नकद बरामद

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u> –

- थानाध्यक्ष रक्सा मय पुलिस टीम